

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./5956

रायपुर, दिनांक 01/66/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

विषय:— Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act 1980 proposal for the Rehabilitation & Upgrading of Dwari-Saldih-Gadphuljhar-Toshgaon-Toresingha Road Chhattisgarh, Area 2.767 Ha. (पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/32638/2018)

संदर्भ: वनमंडलाधिकारी, महासमुंद वनमंडल महासमुंद का पत्र क्रमांक/मा.चि./1021 दिनांक 26.05.2022

—00—

विषयांगत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से वनमंडलाधिकारी महासमुंद वनमंडल महासमुंद के द्वारा देवरी-सल्डीह-तोषगांव-गढ़फुलझर-तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु 2.767 हेक्ट. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या																
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र — देवरी—सल्डीह—तोषगांव—गढ़फुलझर—तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य अंतर्गत रकबा 2.767 हेक्ट. वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदक विभाग परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए. बी.डी. प्रोजेक्ट) लो.नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.) मांग की गयी है ।	01																
2.	रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) — उक्त प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक — FP/CG/ROAD/32638/2018 आबंटित किया गया है । आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 24,000/— जमा कराये गये है ।	02—13																
3.	वन क्षेत्र का विवरण — प्रस्तावित देवरी—सल्डीह—तोषगांव—गढ़फुलझर—तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में निम्नानुसार वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है:— <table><tr><th>वन मंडल</th><th>कक्ष क्र.</th><th>रकबा (हे.)</th><th>प्रस्तावित रकबा</th></tr><tr><td>महासमुन्द</td><td>RF/298</td><td>0.231</td><td>2.767</td></tr><tr><td></td><td>RF/300</td><td>2.536</td><td>2.536</td></tr><tr><td></td><td>योग:—</td><td>2.767</td><td>2.767</td></tr></table>	वन मंडल	कक्ष क्र.	रकबा (हे.)	प्रस्तावित रकबा	महासमुन्द	RF/298	0.231	2.767		RF/300	2.536	2.536		योग:—	2.767	2.767	14
वन मंडल	कक्ष क्र.	रकबा (हे.)	प्रस्तावित रकबा															
महासमुन्द	RF/298	0.231	2.767															
	RF/300	2.536	2.536															
	योग:—	2.767	2.767															

4.	गैर वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्तावित देवरी–सल्डीह–तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में कुल 56.861 हे. गैर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।	15–16
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर – प्रस्तावित वन क्षेत्र का वन मंडलाधिकारी महासमुन्द द्वारा सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	17
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – एफ.एम.आई.एस द्वारा सत्यापित मानचित्र जारी किया गया है जिसके आधार पर वन मंडलाधिकारी महासमुन्द द्वारा हस्ताक्षरित संनिधि मानचित्र एवं वन आवरण मानचित्र संलग्न है।	18
7.	प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव – प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 149 करोड़ 06 लाख रु. है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वनभूमि व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है।	19–25
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।	26–37
9.	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है।	38
10.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी महासमुन्द द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	39
11.	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र – यूजर एजेंसी ने भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की छाया प्रति संलग्न की है। जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	40–58
12.	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) – वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब) संलग्न है।	59–64
13.	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – कास्ट बेनिफिट एनालिसिस आवश्यकता नहीं है।	65–72
14.	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – आवश्यकता नहीं है।	73
15.	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है कि नक्शों की आवश्यकता नहीं हैं।	74

16.	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।	75–98
17.	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र– वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	99–101
18.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	102
19.	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – निरंक।	103
20.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – निरंक।	104
21.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – कलेक्टर महासमुन्द द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।	105–106
22.	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – आवश्यकता नहीं है।	107
23.	रिकलेमेशन प्लान – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिकलेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	108
24.	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	109
25.	व्यवस्थापन प्लान – यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	110
26.	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – परियोजना प्रबंधक (ए डी बी प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क क्षेत्र परियोजना लो. नि. वि. बलौदाबाजार का प्रपत्र भाग – 1 संलग्न एवं वनमंडलाधिकारी महासमुन्द वनमंडल महासमुंद के द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग –2 में देवरी–सल्डीह– तोषगांव–गढ़फुलझर–तोरेशिंघा मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की अनुशंसा की गयी है। प्रपत्र भाग–02 संलग्न	111–116
27.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक स्थल नहीं होने का प्रमाण पत्र कलेक्टर महासमुन्द द्वारा जारी किया गया है।	117–118
28.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	119–135
29.	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – महासमुन्द वनमंडल की कुल वन भूमि 100519.270 हे. है।	136
30.	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –	137

	स्वीकृत प्रकरणों में महासमुन्द वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 1686.925 हे. है।	
31.	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की महासमुन्द वन मंडल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 101.25 हे. है।	138
32.	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर स्थित नहीं है। वन मंडलाधिकारी महासमुन्द का पृथक प्रमाण पत्र संलग्न है।	139
33.	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है।	140
34.	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कलेक्टर महासमुन्द द्वारा दिनांक 25.02.2021 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।	141–143
35.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – चूंकि प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है अतः प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	144
36.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	145–146
37.	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	147
38.	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – Soil Productivity Report की आवश्यकता नहीं है।	148
39.	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा दिया गया है।	149
40.	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	150
41.	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – कुल राशि 24000/- के बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति भी पुष्टि हेतु संलग्न है। शेष विवरण बिन्दु क्रमांक 2 पर संलग्न है।	151–152

42.	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – आवश्यकता नहीं है।	153
43.	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	154
44.	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण–	155

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण अनुशंसा सहित 04 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:— 1. प्रस्ताव 04 प्रतियों में

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04 प्रतियों में
(आवेदित एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण स्थल)

पृ. क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./5957

प्रतिलिपि :—

1. वनमंडलाधिकारी, महासमुंद वनमंडल महासमुंद की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य संड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लो.नि.वि. बलौदाबाजार (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 01/06/2022

मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

30/05/22